न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारेठ आरएएस

करण सं0 : 156/2019

नवान :

सुरेन्द्र कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र दूनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. रंजीत कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मदन कड़वासरा : वादी

निर्णय   दिनांक : 18-3-2020

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 34 / 137 के खसरा सं0 567 की 12.0140 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज जिसमें प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम पुत्र दूनीराम का 470 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि कुरड़ाराम को अपने पिता दूनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है तथा दूनीराम के देहान्त के बाद कुरड़ाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक व हिस्सा बहिस्सा बराबर निहित है। लेकिन कुरड़ाराम कर्ता खानदान होने के कारण उक्त भूमि अकेले कुरड़ाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जबकि विरासतन भूमि का वादी प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी राहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में सुरेन्द्र कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 ता 3 प्रदर्शित करवाये। पत्रावली बहस हेतु रखी गई।

बहस वकील वादी सु[illegible] वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीना[illegible] जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:17 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील वादी की बहस पर मनन [illegible] पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अ[illegible] हक की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि कुरड़ाराम को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम डूंगराना सम्वत् 2051 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि वादी के दादा दूनीराम वल्द नानक के नाम दर्ज जिससे वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता दूनीराम से प्राप्त होना व दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में कुरड़ाराम के वारिसान में पत्नि अणचीदेवी व दो पुत्र सुरेन्द्र कुमार व संजीव कुमार होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद वादी ने रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 134/137 के खसरा सं0 567 की 12.0140 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम पुत्र दूनीराम का 470 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारेठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 156/2019

अनवान :

सुरेन्द्र कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. कुरड़ाराम पुत्र दूनीराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. संजीव कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारेठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदनलाल कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद वादी ने रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 134/137 के खसरा सं0 567 की 12.0140 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम पुत्र दूनीराम का 470 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 कुरड़ाराम के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

सहायक कलक्टर (फ़ास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner